



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

लखनऊ, सोमवार, 30 अप्रैल, 1973

वंशाख 10, 1895 शक संवत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायिका अनुभाग-1

संख्या 1518/सत्रह-वि०-1-44-73

लखनऊ, 30 अप्रैल, 1973

विज्ञप्ति

विविध

'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 201 के अधीन राष्ट्रपति महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मंडल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश अधिकतम सम्पत्ति सीमा (अन्तरण पर अस्थायी निर्बन्धन) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1973 पर दिनांक 29 अप्रैल, 1973 ई० की अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14, 1973 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनायें इस विज्ञप्ति द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश अधिकतम सम्पत्ति सीमा (अन्तरण पर अस्थायी निर्बन्धन)

(द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1973

(उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० 14, 1973)

(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान मंडल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश अधिकतम सम्पत्ति सीमा (अन्तरण पर अस्थायी निर्बन्धन) अधिनियम, 1972 का संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के चौबीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश अधिकतम सम्पत्ति सीमा (अन्तरण पर अस्थायी निर्बन्धन) (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1973 कहलायेगा। संक्षिप्त नाम

2—उत्तर प्रदेश अधिकतम सम्पत्ति सीमा (अन्तरण पर अस्थायी निर्बन्धन) अधिनियम, 1972 की धारा 3 में— उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० 36, 1972 की धारा 3 का संशोधन

(क) उपधारा (1) में शब्द तथा अंक "30 अप्रैल, 1973" के स्थान पर शब्द तथा अंक, "30 सितम्बर, 1973" रख दिये जायें;

(ख) उपधारा (5) में, शब्द "डिप्टी जनरल का आयुक्त" के स्थान पर शब्द "जिला अधिकारी (कलेक्टर)" रख दिये जायें।

No. 1518/XVII-V—44-1973

Dated Lucknow, April 30, 1973

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Adhikatan Sampatti Secma (Antaran Par Asthai Nirbandhan) (Dwitiya Sanshodhan) Adhiniyam, 1973: (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 14 of 1973), as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the President on April 29, 1973:

THE UTTAR PRADESH CEILING ON PROPERTY (TEMPORARY
RESTRICTIONS ON TRANSFER) (SECOND AMENDMENT) ACT, 1973

(U. P. Act No. 14 of 1973)

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

*further to amend the Uttar Pradesh Ceiling on Property (Temporary
Restrictions on Transfer) Act, 1972.*

IT IS HEREBY enacted in the Twenty-fourth Year of the Republic of India as follows :—

Short title.

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Ceiling on Property (Temporary Restrictions on Transfer) (Second Amendment) Act, 1973.

Amendment of
section 3 of U. P.
Act no. 36 of
1972.

2. In section 3 of the Uttar Pradesh Ceiling on Property (Temporary Restrictions on Transfer) Act, 1972,—

(a) in sub-section (1), for the words and figures "April 30, 1973", the words and figures "September 30, 1973" shall be substituted;

(b) in sub-section (5), for the words "the Commissioner of the Division" the words "the District Officer/Collector" shall be substituted.

आज्ञा से,
कैलाश नाथ गोयल,
सचिव।